

कार्यालय,**तमिळु प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय,राज:

अखिल भारतीय लखनौकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वीडिओ सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघीयत विधायक राष्ट्रीय लखनौकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन दिनांक 24-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय लखनौकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदात अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा तिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4120-NAND KISHORE COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०आई० वी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परीषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
II	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश राज्य के एन संख्या 311/15-3099/2023 दिनांक-1 दिनांक 18 नव 2023 द्वारा पूर्व से संघीयत प्रदात संस्थानों को उचित के विस्तृत मानकीय साधकत्व में प्रविष्टि वि० प्रविष्टि संख्या 8027/2023 में मानकीय साधकत्व के अधीन निर्माण के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय लखनौकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय लखनौकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के सम्बन्ध में अनुमोदन संस्थान में संस्था संसाधन (शुद्धि अंकन, सैक उपकरण, आदि उपकरण) हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विजयवाडी 1982, विनियामावली-2000, सेंट्रल विनियामावली-2018 तथा समस्त-समस्त एन लिस्ट काउन्सिलों का अनुमोदन करेगी तथा मुख्य निर्धारक अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क ही परीक्षा एवं छात्रों से प्रवेश किया जाएगा। परीक्षा के अधिकतम द्वारा छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त-समस्त एन साधक द्वारा निर्णय किये जाने वाले काउन्सिलों प्रभावी होंगे, और सड़कन कार्यावली किया सत्र अनुसूचक होगा। परीक्षा निर्धारक समिति द्वारा प्रति सत्र 2023-24 हेतु शीट का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो एन की नवीकरण हरे लागू होंगे।
- ✓ सत्र में संयुक्त परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समस्त-समस्त एन लिस्ट काउन्सिलों के अनुमोदन निर्देश एवं सम्बद्धता शुल्क सत्र करना होगा।

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीन निर्धारण समिति द्वारा नवंबर 2024-25 हेतु पीन का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीन की नवीनतम डी-बार्ग होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उन समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमावली 2000 की धर्ती का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित एजेंट का ही प्रवेश दिया जाएगा। सेवा के तहत रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासन-देश के अनुसार निर्देशों एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/मीटिंग/ई/सी/आई/परिषद से आगामी तब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविपरीत/अधिविपरीत/शासन-देश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उपरोक्त, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरोक्त तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरोक्त द्वारा बनाये गये विनियम, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्सी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ नवंबर से आई. नई डिप्लोमा से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध बाधर किया जाता है तथा बाधर बाध के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्सी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शिक्षण द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अल्पकालिक प्रवेश परीक्षा हेतु कठिनसिद्धि प्राप्त होने के पूर्व एडमिशन/ई/सी/आई/परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कठिनसिद्धि के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेश विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, आय-व्यय शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण, प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सातावरण, उपलब्ध कराने के साथ रेंटिंग टैक्स के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशक समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, कमीटर, उपकरण इत्यादि का नई संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निर्माण होना यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्याप्तता, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एडमिशन/ई/सी/आई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता धर्ती का अनुपालन न करने वाले अथवा धर्ती का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में निरसनुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार हीनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4509

दिनांक: 09/08/2021

प्रातिनिधि

प्रधानाचार्य, निदेशक, NANG KISHORE COLLEGE OF
PHARMACY, DHANUHA, CHAKA, NAINI, PRAYAGRAJ, ALLAHABAD-211008.

(सुनील कुमार हीनकर)

सचिव

कार्यालय,सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या: प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

सम्बोधित रूप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कर्नाटी काउन्सिल ऑफ इजिप्शन, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विज्ञापित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08/ लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघातित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, परीक्षा समता इति आदि अन्य सभी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में शिमे गर्ग निगम के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08/ लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित परीक्षा समता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4120-NAND KISHORE COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित परीक्षा समता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित परीक्षा समता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट (1982) तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसूची (1982) विनियमसूची-2000, सेमेस्टर विनियमसूची-2016 तथा लखनऊ समय पर निर्गत छात्रसंश्लेषों का अनुयायन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु, ए0 30:30,00/- प्रतिवर्ष, छह वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु, ए0- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा छह वर्षीय पाठ्यक्रमों (छह वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ए0-22,500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्गत किये जाने वाले वास्तवदेश

प्रभावी होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित समिति द्वारा बचि संघ 2023-23 हेतु नीचे का पुनर्निर्धारण किया जाता है, ता कि नीचे की तय्यतम पूरी लागू होगी।

- ✓ संस्था से संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदन जारी की हो प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट सातनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्दिष्ट विधि/विधनी/अधिनियम/सातनादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा उपाय संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाय तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाय द्वारा बचिमे नये विधनी, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विषय बचि कोई बचि दायम किया जाता है तथा इस बचि के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निरस्त किया जाता है ता समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तदनुस द्वारा नयेक वर्ष प्रवेश हेतु अन्याजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्दिष्ट सातनादेश आदेश विधनी का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक रूचि भूमि, स्टॉल, सच, सचिव, उपकारण, धन्य किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/अधिधन हेतु उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराने के लक्ष्य रणिय रखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में पर्यायित/संघातित पाठ्यक्रम का पालन करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने लगे अभिलेख, भूमि/भवन, पत्नीधर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तद्वरम संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद के समकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने वाले अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निगमानुसार अनुशासनवात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एनकेआरओ खान)

सचिव

पू0सं0- प्रसिपापरिषद संख्या/2022/7818-8465

दिनांक: 30/08/2022

पतिविति

प्रधानाचार्य, निदेशक NAND KISHORE COLLEGE OF PHARMACY



(एनकेआरओ खान)

सचिव